

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं०-उ०नि०-194 / 2023-59 /

पटना, दिनांक-09.03.2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-10543, दिनांक-06.10.2025 के उपबंधों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति/प्रोन्नति समिति की दिनांक-17.02.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के निम्नांकित अनुवाद पदाधिकारी (उर्दू) को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतन स्तर में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1.	श्री मो० हैदर इमाम, समाहरणालय, पूर्णियां (जिला उर्दू भाषा कोषांग)	10.02.1966	29.09.1995	दिनांक-29.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-11 देय
2.	श्री मो० शहबाज अहमद, समाहरणालय, पटना (जिला उर्दू भाषा कोषांग)	21.12.1968	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-11 देय

2. संदर्भित वित्तीय उन्नयन के कारण उपर्युक्त पदाधिकारियों के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. संदर्भित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा संबद्ध अनुवाद पदाधिकारी (उर्दू) की सेवापुस्त से सेवा सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।

4. वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त/देय पावनाओं (सेवानिवृत्ति की स्थिति में) से नियमानुसार कर ली जाएगी।

5. सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लंबित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।

6. मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के आलोक में संदर्भित कर्मियों वेतन निर्धारण का विकल्प यदि चाहें तो एक माह में देंगे।

7. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-उ०नि०-194 / 2023-476 /

पटना, दिनांक-09.03.2026

प्रतिलिपि :- संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ज़िला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, पूर्णियां/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- ज़िला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियां/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- ज़िला पदाधिकारी, पूर्णियां/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं०-उ०नि०-194 / 2023-58 /

पटना, दिनांक-09.03.2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-10543, दिनांक-06.10.2025 के उपबंधों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति/प्रोन्नति समिति की दिनांक-17.02.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के निम्नांकित वरीय उर्दू अनुवादक को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतन स्तर में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन प्रथम/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1	श्री मो० खुर्शीद आलम, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।	06.06.1966	19.03.2007	दिनांक-19.03.2017 के प्रभाव से प्रथम ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-06 देय।
2	श्री मो० जमशेद अतहर, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	14.06.1968	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
3	श्रीमती रौशन आरा, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना।	10.01.1966	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
4	श्री मो० नौशाद अंसारी, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।	25.06.1969	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
5	श्री मो० सलाहउद्दीन अहमद, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना।	16.10.1968	26.10.1995 (अपराहन)	दिनांक-27.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
6	श्री शाहिद हसन खाँ, गृह विभाग, बिहार, पटना।	13.05.1971	16.10.1995	दिनांक-16.10.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
7	श्री नुरुज्जमा खाँ, अनुमंडल कार्यालय, मोहनियाँ, कैमूर।	01.01.1969	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
8	श्री हसीबुर्हमान अंसारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	25.06.1969	27.09.1995	दिनांक-27.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
9	श्रीमती हलीमा बेगम, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना।	28.01.1969	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
10	श्री मो० मुर्तुजा अली, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार, पटना।	13.01.1969	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।

1	2	3	4	5
11	श्री सेयद माजिद हुसैन, अनुमंडल कार्यालय, चकिया, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	02.02.1968	27.09.1995	दिनांक-27.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
12	श्री मो० जमालउद्दीन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	26.04.1969	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
13	श्री शकील अहमद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	02.01.1968	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
14	श्री मो० एहतेशाम, बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना।	25.09.1967	17.10.1995	दिनांक-17.10.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
15	श्री मो० इशफ़ाक़ आलम, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना।	26.02.1968	01.10.1995	दिनांक-01.10.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।
16	श्री मो० काज़िम, अनुमंडल कार्यालय, शिवहर।	02.06.1971	26.09.1995 (अपराहन)	दिनांक-27.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।

2. संदर्भित वित्तीय उन्नयन के कारण उपर्युक्त कर्मियों के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. संदर्भित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा संबद्ध कर्मियों की सेवापुस्त से सेवा सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।

4. वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त/देय पावनाओं (सेवानिवृत्ति की स्थिति में) से नियमानुसार कर ली जाएगी।

5. सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लंबित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।

6. मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के आलोक में संदर्भित कर्मियों के वेतन निर्धारण का विकल्प यदि चाहें तो एक माह में देंगे।

7. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-उ०नि०-194/2023-475/

पटना, दिनांक-09.03.2026

- प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/संसदीय कार्य विभाग/पर्यटन विभाग/ वाणिज्य कर विभाग/गृह विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग/बिहार राज्य सूचना आयोग/बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं०-उ०नि०-194/2023-57/

पटना, दिनांक-09.03.2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-10543, दिनांक-06.10.2025 के उपबंधों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति/प्रोन्नति समिति की दिनांक-17.02.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के निम्नांकित उर्दू अनुवादक को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतन स्तर में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान, ग्रेड-पे/वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1	श्री मो० ज्याउर रहमान, प्रखंड कार्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर। (मूल कोटि का पद-सहायक उर्दू अनुवादक)	15.03.1967	26.09.1995 (अपराहन)	दिनांक-27.09.2015 के प्रभाव से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800, ग्रेड-पे-4200 देय।
2	श्री मो० मुजफ्फरुल इस्लाम (सेवानिवृत्त), प्रखंड कार्यालय, नवगछिया, भागलपुर। (मूल कोटि का पद-उर्दू अनुवादक)	17.11.1965	09.10.1995	दिनांक-09.10.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-09 देय।

2. संदर्भित वित्तीय उन्नयन के कारण उपर्युक्त कर्मियों के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. संदर्भित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा संबद्ध कर्मियों की सेवापुस्त से सेवा सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।

4. वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त/देय पावनाओं (सेवानिवृत्ति की स्थिति में) से नियमानुसार कर ली जाएगी।

5. सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लंबित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।

6. मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के आलोक में संदर्भित कर्मियों वेतन निर्धारण का विकल्प यदि चाहें तो एक माह में देंगे।

7. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-उ०नि०-194 / 2023-474 /

पटना, दिनांक-09.03.2026

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं०-उ०नि०-194 / 2023-56 /

पटना, दिनांक-09.03.2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-10543, दिनांक-06.10.2025 के उपबंधों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति/प्रोन्नति समिति की दिनांक-17.02.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के निम्नांकित सहायक उर्दू अनुवादक को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतन स्तर में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान, ग्रेड-पे/वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1	श्री सैयद वसीम अशरफ़, समाहरणालय, सीतामढ़ी (ज़िला उर्दू भाषा कोषांग)	17.12.1968	19.12.1996	दिनांक-19.12.2008 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800, ग्रेड-पे-2800 देय। दिनांक-19.12.2016 के प्रभाव से द्वितीय ए०ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800 ग्रेड-पे-4600 (पुनरक्षित वेतन स्तर-07) देय।
2	श्री मो० तनवीरूल हसन, प्रखंड कार्यालय, बलिया, बेगूसराय।	12.02.1970	26.09.1995 (अपराहन)	दिनांक-27.09.2015 के प्रभाव से द्वितीय ए०ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800, ग्रेड-पे-4200 देय। दिनांक-27.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-08 देय।
3	श्री अनवर कुरैशी (सेवानिवृत्त), प्रखंड कार्यालय, कुर्सेला, कटिहार।	01.01.1966	09.10.1995	दिनांक-09.10.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-08 देय।
4	श्री मो० अबुलैस (सेवानिवृत्त), प्रखंड कार्यालय, घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	03.01.1966	20.10.1995	दिनांक-20.10.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-08 देय।
5	श्री मो० मंजूर आलम, प्रखंड कार्यालय, फुलवारीशरीफ, बिहार, पटना।	15.03.1967	26.09.1995	दिनांक-26.09.2025 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-08 देय।

2. संदर्भित वित्तीय उन्नयन के कारण उपर्युक्त कर्मियों के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।

क०प०उ०.....

3. संदर्भित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा संबद्ध कर्मियों की सेवापुस्त से सेवा सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।

4. वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त/देय पावनाओं (सेवानिवृत्ति की स्थिति में) से नियमानुसार कर ली जाएगी।

5. सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लंबित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।

6. मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के आलोक में संदर्भित कर्मियों के वेतन निर्धारण का विकल्प यदि चाहें तो एक माह में देंगे।

7. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- उ०नि०-194/2023-473/

पटना, दिनांक-09.03.2026

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं०-उ०नि०-194 / 2023-55 /

पटना, दिनांक-09.03.2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-10543, दिनांक-06.10.2025 के उपबंधों के अधीन विभागीय स्कीनिंग समिति/प्रोन्नति समिति की दिनांक-17.02.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के निम्नांकित उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू/हिन्दी) को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतन स्तर में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० नियमावली के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतन स्तर
1	श्री मो० अख्तर परवेज़, अनुमंडल कार्यालय, बेनीपट्टी, मधुबनी।	25.09.1970	27.04.1992	दिनांक-27.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
2	श्री मो० इम्तियाज़ अली अंसारी, प्रखंड कार्यालय, रानीगंज, अररिया।	07.01.1969	22.04.1992	दिनांक-22.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
3	श्री मो० अकबर इमाम, प्रखंड कार्यालय, ढाका, पूर्वी चम्पारण।	28.01.1969	23.04.1992	दिनांक-23.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
4	श्री मो० गज़नफ़र अली, प्रखंड कार्यालय, खजौली, मधुबनी।	10.06.1971	24.04.1992	दिनांक-24.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
5	श्री मोहम्मद हामिदुल्लाह, प्रखंड कार्यालय, खगड़िया।	15.11.1967	22.04.1992	दिनांक-22.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
6	श्री असरार रफ़ीक, प्रखंड कार्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।	02.12.1969	27.04.1992	दिनांक-27.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
7	श्री मो० मसउद आलम, प्रखंड कार्यालय, किशनगंज।	30.01.1969	30.04.1992	दिनांक-30.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
8	श्रीमती शबाना खातून (सेवानिवृत्त), अनुमंडल कार्यालय, दानापुर, पटना।	06.02.1965	29.04.1992	दिनांक-29.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
9	सुश्री/श्रीमती नूर सबा बानो, प्रखंड कार्यालय, चण्डी, नालन्दा।	01.07.1968	24.04.1992	दिनांक-24.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
10	श्री हसनैन फ़ारूकी, अनुमंडल कार्यालय, लखीसराय।	12.10.1970	30.04.1992	दिनांक-30.04.2022 के प्रभाव से तृतीय ए०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।

1	2	3	4	5
11	श्रीमती शाहिदा प्रवीण, प्रखंड कार्यालय, मुरलीगंज, मधेपुरा।	10.01.1967	29.04.1992	दिनांक-29.04.2022 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
12	श्री अबुल कलाम आज़ाद, प्रखंड कार्यालय, गोगरी, खगड़िया।	07.05.1971	24.04.1992	दिनांक-24.04.2022 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
13	श्री मो० महबूब आलम (सेवानिवृत्त), प्रखंड कार्यालय, कोचाधामन, किशनगंज।	20.12.1965	21.04.1992	दिनांक-21.04.2022 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
14	श्री मो० मुस्तकीम, प्रखंड कार्यालय, घोड़सहन, पूर्वी चम्पारण।	07.02.1970	22.04.1992	दिनांक-22.04.2022 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
15	श्री संजय कुमार, प्रखंड कार्यालय, पिपराही, शिवहर।	12.01.1967	25.09.1995	दिनांक-25.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
16	श्री कमलेश प्रसाद, प्रखंड कार्यालय, आरा सदर।	04.06.1966	25.09.1995	दिनांक-25.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
17	श्री अनिल कुमार, प्रखंड कार्यालय, लखीसराय।	05.01.1967	19.09.1995	दिनांक-19.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
18	श्री मोहन कुमार कर्ण, समाहरणालय, रोहतास (जिला उर्दू भाषा कोषांग)	12.09.1967	22.09.1995	दिनांक-22.09.2025 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
19	श्री मो० अकबर अली (सेवानिवृत्त), प्रखंड कार्यालय, पालीगंज, पटना।	10.05.1965	21.04.1992	दिनांक-21.04.2022 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।
20	श्री मो० एकराम अहसन अंसारी, प्रखंड कार्यालय, कसबा, पूर्णियां।	03.10.1968	21.04.1992	दिनांक-21.04.2022 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-07 देय।

2. संदर्भित वित्तीय उन्नयन के कारण उपर्युक्त कर्मियों के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. संदर्भित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा संबद्ध कर्मियों की सेवापुस्त से सेवा सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।

4. वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त/देय पावनाओं (सेवानिवृत्ति की स्थिति में) से नियमानुसार कर ली जाएगी।

5. सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलंबन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लंबित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।

6. मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के आलोक में संदर्भित कर्मी वेतन निर्धारण का विकल्प यदि चाहें तो एक माह में देंगे।

7. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

पटना, दिनांक-09.03.2026

ज्ञाप संख्या :-उ०नि०-194 / 2023-472 /

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।